प्रारुप–5

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

(5)

डायरी सख्या.......1050.......
फा0 सं0....07/575.......
दिनांक......20/12/13......

संख्या- 6970 /III(2)/10-40(सा0का0)/2013

प्रेषक

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 14 दिसम्बर, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 11 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 25 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 55.00 किमी0 + 02 सेतु तथा लागत ₹ 536.41 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 536.41 लाख (₹ पाँच करोड़ छत्तीस लाख इकतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 11 कार्य हेतु ₹ 1.10 लाख (₹ एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में धनराशि व्यय अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Photo copy Attested

(6)

-4-

...श संख्या - 6970 / [illegible] II(2) / 13-40(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 का संलग्नक

...नपद चमोली के विकास [illegible] ण्ड पोखरी में उडामाडा ...े तल्ला बिनगड़-खुनीगा [illegible] कुमेडा तक मोटर मार्ग ...क निर्माण कार्य।	10.00	90.90 (₹58.50 + ₹32.40 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
...नपद टिहरी गढ़वाल [illegible] विकासखण्ड-कीर्तिनगर ...हजरा-बैजखाड़ी मोटर मा[illegible] के कि0मी0 4 से आगे ...रसीला पोथ मंजूली तक [illegible] मार्ग का विस्तार।	4.00	31.12 (₹23.40 + ₹7.72 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
योग:-	55.00 + 02brg	536.41	1.10

(कुल ₹ एक लाख दस हजार मात्र)

महिमा

(महिमा)

अनु सचिव

Prov KTR - 01370260070 (0) / fin

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ग०

प्रारुप–6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि0मी0)।

दिनाँक 15.09.2016 को वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग के द्वारा कि0मी0 0.00 से कि0मी0 4.00 तक बनाये जाने वाले मार्ग, प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से **श्री सत्य प्रसाद कोठारी वन दरोगा**, सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से **श्री ललित मोहन गैड़ी कनिष्ठ अभियन्ता** अन्य दावेदारों की ओर से **प्रधान** तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में **क्षेत्र पंचायत** के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 550.00 (मी0) नाप भूमि से, 325.00 (मी0) सिविल भूमि से, 0.00 (मी0) वन पंचायत से, 3125.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.385 हे0 नाप भूमि, 0.2275 हे0 सिविल भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, 2.1875 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.415 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 116 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 67 बांज प्रजाति के प्रभावित होगें। **वृक्षों की सूची मूल्यांकन सहित प्रस्ताव पर संलग्न है।**

इस समरेखण की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 800.00 (मी0) नाप भूमि से, 150.00 (मी0) सिविल भूमि से, 0.00 (मी0) वन पंचायत से, 1050.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.560 हे0 नाप भूमि, 0.105 हे0 सिविल भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.735 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.840 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवयकता होगी । इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 127 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 72 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित डागर ब्लॉक कक्ष 9अ से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्ष की वर्तमान वन आच्छादन 15 % है एवं इन कक्षों में 10 प्रजाति के वन हैं।

प्रभावित होने वाली नाप भूमि **0.385 हे0** पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर **चीड़, खड़ीक, तुन, जामुन, बांज, मेहल, कुकाट आदि** प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 15 % है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 78°.44'52.181"E, 30°.20'14.394"N है। तथा यह स्थल **खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 04**, के हे0मी0 8 से 10 (प्रारम्भिक बिन्दु) से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल का GPS मान **78°42'39.290"E, 30°20'29.081"N** है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान **संलग्न** हैं।

चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा।

इस समरेखण पर प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 04 नं0 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान निम्न हैं।

अन्य आवश्यक विवरण	(1)	**78°42'52.023" E,**	**30°20'14.053" N**
	(2)	**78°42'55.073" E,**	**30°20'09.294" N**
	(3)	**78°42'56.010" E,**	**30°20'11.953" N**
	(4)	**78°42'35.626" E,**	**30°20'24.976" N**

कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर।

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

उपजिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज,
डागचार।

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ, रेंज

तहसीलदार
कीर्तिनगर (टि0ग0)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उपप्रभाग
नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती

तहसील टिहरी गढ़वाल

Nap — O.

कार्यालय पत्रांक 33...
दिनांक 23.9.2016

कार्यालय — वन क्षेत्राधिकारी माणिकनाथ राजि डांगचौरा।
पत्रांक 211 / 12 दिनांक डांगचौरा 21 सितम्बर 2016।

सेवामें
अधिशासी अभियन्ता
लो0नि0वि0
कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल

विषय संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ प्रभागीय वनाधिकारी महोदय का पत्रांक 4316 / 12–1 दिनांक 25–01–2016 ।

महोदय,
निवेदन है कि खजरा बैन्जवाड़ी मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से आग बररीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग लम्बाई 4 कि0मी0 व 7 मीटर चौडाई में संयुक्त निरीक्षण कर दिया गया है।
अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न प्रेषित।

संलग्न— संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज

पत्रांक / 12 तददिनांकित

प्रतिलिपिः- प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को उरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न— संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

भवदीय

दि0 24/9/16

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज

NO 2123 / 33C

फोरेस्ट प्रमाणित

सहायक अभियन्ता